# प्रेस विज्ञप्ति

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, कैमूर ( भभुआ )

संख्या :– 65

दिनांक :– 12.07.2013

## सरकारी कर्मचारी अविलंब बकाये बिजली बिल का करें भुगतान अन्यथा रूकेगा वेतन : डी.एम.

### सभी विभाग करें शत्–प्रतिशत् राजस्व की वसूली

कैमूर(भभुआ) :– 12 जुलाई 2013 :– आज जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन,राजस्व भू–अर्जन, निलाम पत्र वादों की गहन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। डी.एम. ने आंतरिक संसाधन एवं राजस्व की समीक्षा के दौरान बारी–बारी से सभी विभागों के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य, वसूले गए राशि की आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि हर हाल में सभी विभाग शत्–प्रतिशत राशि की वसूली करें। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने–अपने कार्यालयों एवं सरकारी आवासों में विद्युत मीटर लगाने एवं बकाया विद्युत बिल का अविलंब भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बकाया बिल नहीं जमा करने पर आपके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय को 24 घंटा बिजली उपलब्ध होगी। अतः इसके लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है। बिजली सहित अन्य विभागों के बकायेदारों, जिनपर सर्टिफिकेट केस चल रहा है उनसे हर हाल में बकाया राशि वसूलने का निर्देश निलाम पत्र पदाधिकारी को दिया। उन्होनें कहा कि सरकारी राजस्व की कम वसूली से न सिर्फ विकास का कार्य प्रभावित होता है बल्कि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि पर भी प्रभाव पड़ेगा। डी.एम. ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने–अपने विभाग में लंबित निलाम पत्र वाद के मामले की सूची बनाकर उसका प्रतिवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपें। बैठक में अनुपस्थिति के कारण जिलाधिकारी ने सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। डी.एम. ने कहा कि डी.सी.एल.आर. के कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा साथ ही उन्होंने सभी डी.सी.एल.आर. को सभी हल्कों के निरिक्षण का निर्देश दिया। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समीक्षा के क्रम में डी.एम. ने कहा कि आगामी 16 जूलाई से 30 जुलाई तक भभुआ शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जायेगा। शहर को हर हाल में अतिक्रमणमुक्त करना है। बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार श्रीवास्तव,अनुमंडल पदाधिकारी मोहनियां सहित वरीयय पदाधिकरी व सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।